संख्या-423/2020/698/22-2-2020-17(622)/2017

प्रेषक,

करूणेश कुमार सिंह,
संयुक्त सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/ महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 **लखनऊ दिनांक 30 सितम्बर, 2020**

विषय: -केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विष्णु पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी जनपद-ललितपुर की 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-16923/प्रोबे0अनु0(2)-213/सला0समिति/(एम-05-06-20)/2020, दिनांक 03-07-2020 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी विष्णु पुत्र श्री रामेश्वर, ग्राम-सिलावन, थाना-महरौनी, जनपद-ललितपुर का रहने वाला है। दिनांक 16-09-2000 को समय लगभग 02:00 बजे बंदी द्वारा एक महिला के साथ बलात्कार का अपराध कारित किया गया। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-43/2000 में भा0द0वि0 की धारा-376, 506 व 3(2)(V)/3(1)(XII) एस0सी0/एस0टी0 के अन्तर्गत मा0 विशेष सत्र न्यायाधीश, ललितपुर के आदेश दिनांक 24.02.2003 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया। बन्दी द्वारा दिनांक 17.02.2020 तक 18 वर्ष 02 माह 16 दिन की अपरिहार सजा तथा 23 वर्ष 10 माह 13 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। बन्दी की आयु दिनांक 17.02.2020 तक लगभग 44 वर्ष है। पुलिस अधीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट ने बन्दी द्वारा भविष्य में अपराध करने का अवसर होने, पुन: अपराध करने में अशक्त नहीं होने के दृष्टिगत समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की है। क्रिमिनल रिट याचिका सं0-48/2014 भारत संघ बनाम वी0श्रीहरन उर्फ मुर्गन व अन्य में मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 02.12.2015 के अनुपालन में बन्दी के सम्बन्धित मा0 न्यायालय का अभिमत भी प्राप्त किया गया, मा0 प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, ललितपुर द्वारा उपलब्ध कराये गये अभिमत दिनांक 23.08.2018 द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में कोई स्पष्ट राय नहीं दी गयी है। सलाहकार समिति के अनुसार बन्दी द्वारा महिलाके साथ बलात्कार करने, बंदी की उम्र 44 वर्ष होने, बंदी के पुन: अपराध करने में अशक्त न होने, बंदी के अपराधी किस्म का होने, बंदी के रिहा होने पर पीड़िता के पति ब्रगभान धोबी की हत्या किये जाने की संभावना होने का अंकन जिला मजिस्ट्रेट व पुलिस अधीक्षक द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा निर्दिष्ट 05 बिन्दुओं की आख्या में किया गया है। मा0 दण्डन न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बंदी की समयपूर्व रिहाई हेतु अभिमत स्पष्ट नहीं

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

दिया गया है। इस प्रकार बंदी द्वारा किये अपराध की गंभीरता एवं जघन्यता के दृष्टिगत सी0आर0पी0सी0 की धारा-432 द0प्र0सं0 के अन्तर्गत सिद्धदोष बंदी विष्णु पुत्र श्री रामेश्वर को उ0प्र0 जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहा किये जाने की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि बन्दी विष्णु (बन्दी संख्या-8210) पुत्र श्री रामेश्वर, निवासी जनपद-ललितपुर की जेल मैनुअल के प्रस्तर-198 के अन्तर्गत 14 वर्षीय नामिनल रोल के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है।

कृपया उपरोक्त निर्णय से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करे।

भवदीय,

करूणेश कुमार सिंह
संयुक्त सचिव।

संख्या-423/2020/698(1)/22-2-2020 तद्दिनांक...

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1-जिला मजिस्ट्रेट, ललितपुर।
2-वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।
3-निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ।
4-गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

कृष्ण कुमार सिंह
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।